



केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

(संसद के अधिनियम द्वारा पारित)

जयपुर परिसर, जयपुर (राज.)

के.सं.वि.ज./प्रशा./2022-23/2007

दिनांक: 18.10.2022

कार्यालय आदेश (558)

सभी विभागाध्यक्षों एवं प्राध्यापकों को सूचित किया जाता है कि मुख्यालय, नई दिल्ली के पत्रांक मुख्यालय, नई दिल्ली के पत्रांक 9-1/CSU/Dean.Acd./2022/573 दिनांक 18.10.2022 के निर्देशानुसार शास्त्री/आचार्य प्रथम सत्रार्द्ध के अभिनव पाठ्यक्रम (NEP-2020) के सम्यक् क्रियान्वयन और संचालन हेतु अधोलिखित कार्यसूची के विवरणानुसार एक सुनियोजित इंडक्सन/ओरिएन्टेशन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

प्रस्तावितओरिएन्टेशन/इंडक्सन प्रोग्राम की कार्यसूची इस प्रकार है-

- दिनांक 31.10.2022 को पूर्वाह्न में 11.00-1.30 बजे तक इंडक्सन/ओरियेंटेसन प्रोग्राम सम्पन्न होगा।
 - दिनांक 01.11.2022 को पूर्वाह्न में 11-01 बजे तक नवप्रविष्ट छात्रों के लिए दीक्षारम्भ कार्यक्रम सञ्चालित होना सुनिश्चित है।
 - उपर्युक्त कार्यक्रम मुख्यतया टास्क फोर्स के अध्यक्ष प्रो. सर्व नारायण झा जी के मार्गदर्शन में संचालित होगा और माननीय कुलपति महोदय का मार्गदर्शन/आशीर्वचन कार्यक्रम के आरम्भ में या अन्त में होना सुनिश्चित है।
 - इस कार्यक्रम में प्रथम दिन परिसरों/सम्बद्ध महाविद्यालयों के शास्त्री/आचार्य कार्यक्रमों के सभी निदेशकों/प्राचार्यों के साथ-साथ संयोजकों एवं उन-उन कक्षाओं में पढ़ा रहे आधुनिक विषय समेत सभी प्राध्यापकों एवं परिसरीय सभी विद्याशाखाओं के अध्यक्षों का भाग लेना/उपस्थित होना अपेक्षित है।
 - द्वितीय दिन के दीक्षारम्भ कार्यक्रम में उपर्युक्त के अतिरिक्त शास्त्री/आचार्य कार्यक्रमों के नवप्रविष्ट सभी छात्रों का भाग लेना अनिवार्य है।
- कार्यक्रम के लिये लिंक 30.10.2022 को प्रेषित किये जायेंगे।**

अतः आप सभी इंडक्सन/ओरिएन्टेशन कार्यक्रम में उपर्युक्त विवरणानुसार अनिवार्य उपस्थित होंगे तथा कार्यक्रम के दौरान सभी को निर्देश है कि Covid-19 की SOPs का पालन सुनिश्चित करें।

Bhagwati Sudesh

(प्रो. भगवती सुदेश)
निदेशक

प्रतिलिपि :

1. सभी विभागाध्यक्षों एवं प्राध्यापकों को सूचनार्थ।
2. प्रो. श्रीधर मिश्र, संयोजक, शास्त्री प्रवेश Counselling
3. संयोजक, शास्त्री/आचार्य प्रवेश समिति, जयपुर परिसर।
4. समन्वयक, IQAC, जयपुर परिसर।
5. श्री दीपक कुमार वर्मा, तकनीकी सहायक को सूचनार्थ।
6. परिसर वेबसाइट।
7. कार्यालय आदेश।
8. प्रशासन विभाग।
9. संबंधित संचिका।